ई मेल

प्रेषक

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
जौनपुर।

सेवा में

मिशन निदेशक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
उ0प्र0लखनऊ।

पत्रांक– मु0चि0अ0/एम0एंडई0 वाहन अनुबंध/2019–20/ 14673 **दिनांक** 16.07.2019

विषय– **<u>वित्तीय वर्ष 2019–20 में सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के अंतर्गत अनुबंधित वाहनों की स्थिति की सूचना के संबंध में</u>** ।

महोदय

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या एस0पी0एम0यू0/एन0एच0एम0/एम0एंडई0/2019–20/30/3153–2 दिनांक 08.07.2019 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 में सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के अंतर्गत अनुबंधित वाहनों की स्थिति की सूचना चाही गयी है के क्रम में अवगत कराना है कि जनपद जौनपुर मे ई निविदा के माध्यम से अनुबंधित वाहन प्रदाता फर्म मां शारदा टूर एंड ट्रेवेल्स ठेकमा,आजगमढ़ द्वारा अनुबंधित वाहन दर रू0 29810 प्रति माह पर सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु कामर्शियल वाहन उपलब्ध करायी गयी हैं,जिसका अनुबंध पत्र एवं अनुबंधित वाहनों की सूची इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी सेवा में प्रेषित की जा रही है।

कृपया संबंधित सूचना की प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

सादर

<u>संलग्नक</u> –उपरोक्तानुसार अनुबंध पत्र/वाहन सूची

भवदीय

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
जौनपुर।

क्र0सं0	चिकित्सा इकाई का नाम	वाहन पंजीकरण संख्या	अधिकृत वाहन प्रदाता फर्म का नाम	अनुबंधित दर
1	**Badlapur**	UP 62 AT 6751	मां शारदा टूर एंड ट्रेवेल्स ठेकमा,आजगमढ़	Rs.29810 Pm
2	**Buxa**	UP 62 AT 8681	मां शारदा टूर एंड ट्रेवेल्स ठेकमा,आजगमढ़	Rs.29810 Pm
3	**Barsathi**	UP 62 AT 2892	मां शारदा टूर एंड ट्रेवेल्स ठेकमा,आजगमढ़	Rs.29810 Pm
4	**Dharmapur**	UP 62 BT 0504	मां शारदा टूर एंड ट्रेवेल्स ठेकमा,आजगमढ़	Rs.29810 Pm
5	**Dobhi**	UP 62 T 6395	मां शारदा टूर एंड ट्रेवेल्स ठेकमा,आजगमढ़	Rs.29810 Pm
6	**Jalalpur**	UP 65 FT 2247	मां शारदा टूर एंड ट्रेवेल्स ठेकमा,आजगमढ़	Rs.29810 Pm
7	**Karnjakala**	UP 62 DC 7735	मां शारदा टूर एंड ट्रेवेल्स ठेकमा,आजगमढ़	Rs.29810 Pm
8	**Kerakat**	UP 62 BT 3847	मां शारदा टूर एंड ट्रेवेल्स ठेकमा,आजगमढ़	Rs.29810 Pm
9	**Khuthan**	UP 70 ET 3943	मां शारदा टूर एंड ट्रेवेल्स ठेकमा,आजगमढ़	Rs.29810 Pm
10	**Machhalishahar**	UP 62 BT 1604	मां शारदा टूर एंड ट्रेवेल्स ठेकमा,आजगमढ़	Rs.29810 Pm
11	**Mariyahun**	UP 65 DT 7224	मां शारदा टूर एंड ट्रेवेल्स ठेकमा,आजगमढ़	Rs.29810 Pm
12	**Maharajganj**	UP 62 AT 7175	मां शारदा टूर एंड ट्रेवेल्स ठेकमा,आजगमढ़	Rs.29810 Pm
13	**Mugrabadshahpur**	UP 70 EF 0036	मां शारदा टूर एंड ट्रेवेल्स ठेकमा,आजगमढ़	Rs.29810 Pm
14	**Muftiganj**	UP 62 BT 1112	मां शारदा टूर एंड ट्रेवेल्स ठेकमा,आजगमढ़	Rs.29810 Pm
15	**Ramnagar**	UP 65 CQ 0096	मां शारदा टूर एंड ट्रेवेल्स ठेकमा,आजगमढ़	Rs.29810 Pm
16	**Rampur**	UP 62 BT 1602	मां शारदा टूर एंड ट्रेवेल्स ठेकमा,आजगमढ़	Rs.29810 Pm
17	**Sondhi**	वाहन उपलब्ध नही है।	मां शारदा टूर एंड ट्रेवेल्स ठेकमा,आजगमढ़	-
18	**Sikrara**	UP 62 BB 5001	मां शारदा टूर एंड ट्रेवेल्स ठेकमा,आजगमढ़	Rs.29810 Pm
19	**Suithakala**	UP 44 T 8730	मां शारदा टूर एंड ट्रेवेल्स ठेकमा,आजगमढ़	Rs.29810 Pm
20	**Sujanganj**	UP 62 AT 8546	मां शारदा टूर एंड ट्रेवेल्स ठेकमा,आजगमढ़	Rs.29810 Pm
21	**District Head quarter**	UP 62 BK 4021	मां शारदा टूर एंड ट्रेवेल्स ठेकमा,आजगमढ़	Rs.29810 Pm
22	**District Head quarter**	UP 62 BT 3617	मां शारदा टूर एंड ट्रेवेल्स ठेकमा,आजगमढ़	Rs.29810 Pm

CMO
Jaunpur
मुख्य चिकित्सा अधिकारी
जौनपुर

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

सत्यव्रत निगम उपकोषाधिकारी कोषागार जौनपुर

EV 530480

अनुबन्ध पत्र

प्रथम पक्षकार–मुख्य चिकित्सा अधिकारी सदस्य सचिव,जिला स्वास्थ्य समिति जनपद–जौनपुर।

द्वितीय पक्षकार– मेसर्स माँ शारदा टूर एण्ड ट्रेवेल्स ठेकमा आजमगढ़।

यह अनुबन्ध प्रथम पक्ष **मुख्य चिकित्सा अधिकारी सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति जौनपुर** एंव द्वितीय पक्ष **मेसर्स माँ शारदा टूर एण्ड ट्रेवेल्स ठेकमा आजमगढ़** द्वारा **सामु0/प्रा0स्वा0केन्द्र** ब्लॉक/**जनपद मुख्यालय स्तर पर** पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन कार्यक्रम के अन्तर्गत वाहन उपलब्ध कराये जाने हेतु मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या– एस0पी0एम0यू0/एन.एच.एम./एम.एण्डई/2017–18/01/4664–75 दिनांक–11.08.2017 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी द्वारा आमन्त्रित निविदा पत्र संख्या–मु0चि0अ0/एन0एच0एम0/ई–निविदा/2018–19/23402 दिनांक–13.12.2018 जो निविदा समिति के द्वारा दिनांक–27.12.2018 को निविदा प्रक्रिया पूर्ण की गयी है के उपरान्त जिला स्वास्थ्य समिति जौनपुर की बैठक दिनांक–22.02.2019 को सफल निविदा की स्वीकृति पश्चात किया गया। तत्क्रम में पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन कार्यक्रम के अन्तर्गत चिकित्सा दल भ्रमण हेतु प्राप्त दिशा निर्देश के क्रम में अनुबंध दर **रू0 29810/–** प्रति वाहन प्रतिमाह दिशा–निर्देश के अनुरूप की जाती है यह अनुबंध **दिनांक–06.03.2019 से 05.03.2021** तक मान्य होगी, परन्तु सम्बन्धित देयको का भुगतान सामु0/प्रा0स्वा0केन्द्रों पर /जिला मुख्यालय पर वाहन की उपलब्धता दिनांक से किया जायेगा, यह अनुबंध हस्ताक्षरित तिथि से दो वर्ष के लिए वैध होगा। एक वर्ष उपरान्त कार्य संतोषजनक रहने पर ही अगले वर्ष के लिए अनुमोदित किया जायेगा। किसी भी समय उच्चधिकारियों का निर्देश प्राप्त होते ही अथवा कार्य संतोषजनक न होने पर कभी भी समाप्त किया जा सकता है इसमें द्वितीय पक्ष के द्वारा कोई सहमति अथवा स्पष्टीकरण/नोटिस लेने/देने की आवश्यकता नही होगी।

अनुबंन्ध उपरान्त द्वितीय पक्ष की यह जिम्मेदारी होगी कि निविदा सेवा शर्तो के अनुरूप एक सप्ताह के अन्दर सामु0/प्रा0स्वा0केन्द्रों/जनपद मुख्यालय पर उपलब्ध करायी जाने वाली कार्मिशयल वाहन जो वर्ष 2015 से पूर्व की न हो तथा जिनका आर0सी0 निविदा में प्रस्तुत की गयी है, (सेडान वाहन जैसे–बोलेरो,टाटा सुमो,स्कार्पियों,आदि) वाहन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें। उक्त के साथ–साथ कार्मिशयल वाहन से सम्बन्धित अभिलेख जैसे पंजीयन,विस्तृत बीमा फिटनेस,प्रदूषण तथा अन्य टैक्स परमिट उपलब्ध कराना होगा, इसके साथ–साथ वाहन के वाहन स्वामी अन्य होने की दशा में रू0–100 का अनुबंध पत्र जिसमें निविदा की सेवा शर्ते वर्णित हो द्वितीय पक्ष के द्वारा हस्ताक्षरित कराते हुए भी उपलब्ध कराना होगा, प्रथम पक्ष के द्वारा **कार्य स्थल सामु0/प्रा0स्वा0केन्द/जनपद मुख्यालय का आवन्टन किया जायेगा जिसको द्वितीय पक्ष/वाहन स्वामी को मानना होगा।**

Pawan Chauhan

(क)–द्वितीय पक्षकार / अनुबन्धित वाहन स्वामी सामु0 / प्रा0स्वा0केन्द्र के अन्तर्गत पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन कार्यक्रम भ्रमण हेतु निम्न शर्ते पूरी करेगा।

1. वाहन के पास कामर्शियल टैक्सी परमिट विस्तृत बीमा तथा सभी तकनीकी अभिलेख जैसे फिटनेस पंजीयन तथा वाहन में जी0पी0आर0एस0 सिस्टम ,ए0सी0युक्त आदि उपलब्ध हो। वाहन बोलोरो,टाटा सूमो एवं स्कॉपियो तथा समस्तरीय अन्य वाहन अनुमन्य होगे (टाटा मैजिक अथवा मैसिमो जैसे वाहन अनुमन्य नही होगें) तथा वाहन वर्ष 2015 (माडल) से पूर्व के न हो।
2. वाहन प्रत्येक कार्य दिवस को पूर्वान्ह 9:00 बजे तक सम्बंधित चिकित्सालय / मुख्यालय पर उपस्थित होना होगा एवं प्रभारी अधिकारी / अन्य अधिकारी के निर्देशानुसार बिजिट / पर्यवेक्षण,भ्रमण एवं राजकीय कार्य हेतु जाना अनिवार्य होगा,आकस्मिक परिस्थितियों में प्रभारी अधिकारी द्वारा किसी भी दिवस / समय में निविदा दाता को वाहन उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
3. वाहन के संबंध में वाहन तथा सेवा की सन्तुष्टि सम्बंधित प्रभारी अधिकारी,द्वारा की जायेगी। जिसको वाहन स्वामी द्वारा मानना होगा।
4. दोनो पक्षकार को यह पूर्ण अधिकार होगा कि वाहन संचालन के संबंध में सन्तुष्टि न होने पर एक माह पूर्व नोटिस देकर अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा इस हेतु किसी पक्ष द्वारा मा0 न्यायालय में चुनौती नही दी जा सकती है।
5. यदि आकस्मिकता की स्थिति में अनुबन्धित टैक्सी परमिट वाहन उपलब्ध नहीं कराया जा पा रहा है तो इसकी कारण सहित लिखित सूचना सम्बन्धित अधिकारी को पूर्व में आवश्यक रूप से देनी होगी एवं ऐसी स्थिति में दूसरा वाहन टैक्सी परमिट वाला ही उपलब्ध कराया जाना होगा।
6. वाहनों को टीम के भ्रमण के समयानुसार उपलब्ध कराया जाना होगा। यदि वाहन समय से टीम को उपलब्ध नहीं कराया जाता है, अथवा बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहता है, अथवा बिना दूसरे टैक्सी परमिट वाहन की व्यवस्था किये, वाहन नहीं उपलब्ध कराया जाता है तो ऐसी दशा में उन दिनों का किराये का भुगतान नहीं किया जायेगा तथा पेनाल्टी के रूप में कम से कम रू 500 प्रतिदिन की दर से वसूली की जायेगी।
7. सभी वाहन जी0पी0आर0एस0 युक्त होंगे, जी0पी0आर0एस0 रीडिंग के आधार पर बिल का भुगतान किया जायेगा। जी0पी0आर0एस0 का डेटा सेवा प्रदाता द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय को बीजक के साथ उपलब्ध कराया जायेगा।
8. वाहनों पर पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन कार्यक्रम का लोगो अवश्य लगा होना चाहिए।
9. वाहन का उपयोग में माह में कम से कम 1500 कि0मी0 तथा 25 दिन किया जायेगा तथा माइक्रोप्लान के अनुसार फिल्ड बिजिट / जिला चिकित्सालय हेतु सन्दर्भन अथवा फील्ड बिजिट न होने पर अन्य निदृष्टि कार्य करायें जाने के उपरान्त ही पूरे माह का भुगतान किया जायेगा। यदि वाहन का उपयोग 25 दिन से कम किया जायेगा तो उपयोगित दिनों के हिसाब से भुगतान किया जायेगा, अथवा वाहन 1500 कि0मी0 से कम चलता है तो अनुपातक अनुसार भुगतान किया जायेगा। वाहन भुगतान की अधिकतम सीमा रू0 29810 / – (रू0 उन्तीस हजार आठ सौ दस मात्र) प्रतिमाह होगी। वाहन चालक के पास अधिकृत ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है।

(ख)–द्वितीय पक्ष / अनुबन्धित वाहन स्वामी वाहन जो **सामु0 / प्रा0स्वा0केन्द्र / जनपद मुख्यालय पर** प्रतिदिन प्रातः 9:00 बजे से पहले सम्बंधित चिकित्सालय पर उपस्थित होना होगा तथा प्रभारी अधिकारी के द्वारा दिये गये निर्देशानुसार पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन कार्यक्रम के भ्रमण एवं राजकीय कार्य हेतु जाना होगा।

1. अनुबन्धित वाहन की उपलब्धता सम्बन्धित चिकित्सा इकाई पर प्रतिदिन कम से कम 8 घंटे सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगी कार्यस्थल से वाहन के रख रखाव हेतु गैरेज की दूरी मात्र 20 कि0मी0 से अधिक की नही होनी चाहिए।
2. पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन कार्यक्रम के अन्तर्गत वाहन को कम से कम 1500 कि0मी0 चलना होगा। यदि वाहन 1500 कि0मी0 से कम चलती है तो अनुपातक अनुसार भुगतान किया जा सकता है, द्वितीय पक्ष के द्वारा अनुबंध वाहन के साथ–साथ कार्मशियल वाहन चालक एवं ईधन अन्य उपलब्ध कराने होगे।
3. द्वितीय पक्ष के द्वारा समय–समय पर वाहन की मरम्मत एवं अन्य सर्विस कार्य कराने होगे वाहन दुर्घटनाग्रत होने पर किसी भी क्षति / अन्य क्षति की पूर्ण जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की मानी जायेगी वाहन खराब अथवा वाहन न उपलब्ध करा पाने के कारण द्वितीय पक्ष के द्वारा वैकल्पिक वाहन व्यवस्था उसी दिन सम्बंधित प्रभारी अधिकारी को उपलब्ध करानी होगी तथा वाहन न उपलब्ध होने की दशा में प्रभारी अधिकारी के द्वारा की गयी अन्य वाहन का किराया द्वितीय पक्ष को देना होगा, जो अधिकतम 5 दिन ही मान्य होगी।
4. वाहन के संबंध में वाहन सेवा से सम्बन्धित सन्तुष्टि सम्बंधित प्रभारी अधिकारी,के द्वारा की जायेगी जिसको द्वितीय पक्ष को मानना होगा।

5. प्रथम पक्ष को यह पूर्ण अधिकार होगा कि वाहन के सम्बंध में असन्तुष्ट होने बिना कोई नोटिस देकर अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा, इस हेतु किसी पक्ष द्वारा मा0 न्यायालय में चुनौती नही दी जा सकती है।

6. वाहन के पास टैक्सी परमिट फिटनेस आदि सम्बंधित अभिलेख पूर्ण कराने होगे तथा समय–समय पर जमा की जाने वाली करो का द्वितीय पक्ष के द्वारा करना होगा।
7. वाहन के संचालन एवं रख–रखाव सम्बंधित समस्त व्यय तथा पार्किग शुल्क टोल टैक्स आदि द्वितीय पक्षकार द्वारा वाहन किया जायेगा।
8. वाहन को 24 घण्टे रखने हेतु एवं वाहन की साफ–सफाई आवश्यक रख–रखाव द्वितीय पक्षकार द्वारा किया जायेगा। नियमित जॉच हेतु वाहन को वर्कशाप भेजने की स्थिति में द्वितीय पक्षकार को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा।
9. द्वितीय पक्षकार सुरक्षा निधि के रूप में जिला स्वास्थ्य समिति जौनपुर के नाम से 1,10,000.00 धरोहर धनराशि जो निविदा के साथ जमा की गयी किसी पक्ष के द्वारा 15 दिन के नोटिस देकर अनुबंध खत्म करने पर या अनुबंध पूरी होने पर प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्षकार को वापस कर दिया जायेगा।
10. वाहन चालक के पास वैध कार्मिशयल लाईसेन्स होना अनिवार्य है द्वितीय पक्ष द्वारा नियोजित किये वाहन चालक के लिए नियोक्ता/अन्य किसी भी प्रकरण में द्वितीय पक्ष ही होगा प्रथम पक्ष पर विधिक कोई दायित्व/जिम्मेदारी नही होगी। द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा की वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियन्त्रणकर्ता अधिकारी निर्देशो का पालन करेगा द्वितीय पक्ष का यह दायित्व होगा कि यह सुनिश्चित करें। की वाहन चालक कभी–कभी वाहन का संचालन न करें।ऐसा पाये जाने पर सुरक्षा निधि राशि जब्त कर अनुबंध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष का होगा।
11. वाहन की छोटी–मोटी टूट–फूट तत्काल सुधारने की व्यवस्था द्वितीय पक्ष के द्वारा करने होगी बड़ी टूट–फूट भी 24 घण्टे सुधार कराने के या वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा।
12. द्वितीय पक्ष द्वारा दी जा रही सेवाओं समय–समय निरीक्षण करने/जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष अथवा उसके प्राधिकृत अधिकारी का होगा।
13. अनुबंध के संबंध कोई भी विवाद होने की स्थिति में निपटारा केवल जनपद जौनपुर के न्यायालय क्षेत्रान्तर्गत में होगा जिनका निर्णय दोनो पक्ष को मान्य होगा।
14. द्वितीय पक्ष द्वारा किये गये कार्यो की समीक्षा एंव मूल्यांकन करने का अधिकारी प्रथम पक्ष का होगा प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा व द्वितीय पक्ष से इस सम्बध में लिखित स्पष्टीकरण माग सकता है एवं स्पष्टीकरण का जवाब सन्तोषजनक नही पाये जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को 15 दिन की सूचना देकर अनुबंध समाप्त करने का अधिकार होगा। तथा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।
15. मैं एतद द्वारा द्वितीय पक्ष के रूप में यह घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैनें उपरोक्त शर्तो को सावधानी पूर्वक पढ़ लिया है जो हमे स्वीकार है यदि मेरे द्वारा अनुबंध सेवा शर्तो के अनुरूप आपूर्ति में किसी भी प्रकार की कोई कमी पायी जाती है तो उपरोक्त बिन्दुओं में निहित शर्तो के अनुसार कार्यवाही की जाय तथा उपरोक्त सेवा शर्तो के अनुरूप यदि अनुबंध समाप्त की जाती है तो मै माननीय न्यायालय मे जाने का भी हकदार नही होऊगॉ जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी।

हस्ताक्षर....... Pawan Chauran

द्वितीय पक्ष

नाम मेसर्स– **माँ शारदा टूर एण्ड ट्रेवेल्स**

ठेकमा आजमगढ़।

मोबाइल नम्बर–9453983342

हस्ताक्षर.........

प्रथम पक्ष

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,

जनपद–जौनपुर।

दो गवाहो का नाम, हस्ताक्षर एवं पता

1. हस्ताक्षर........
नाम........
पता........ S.A. CMO off. JNP.
मो0नं0........ 9415273132

2. हस्ताक्षर........
नाम........
पता........ मो0नं0........
9935181670

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी जौनपुर।

पत्रांक–निविदा/पर्ये0एंव मूल्या0/वाहन/2018–19/ 4911 दिनांक–06.03.2019

मेसर्स,

माँ शारदा टूर एण्ड ट्रेवेल्स

ठेकमा आजमगढ़।

विषय–पर्यवेक्षण एंव मूल्यांकन कार्यक्रम के अन्तर्गत सामु0/प्रा0स्वा0केन्द्र ब्लाक स्तरीय व जनपद मुख्यालय पर भ्रमण दल हेतु वाहन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक के अधोहस्ताक्षरी के पत्र संख्या– मु0चि0अ0/एन0एच0एम0/ई–निविदा/2018–19/23402 दिनांक–13.12.2018 द्वारा आमंत्रित निविदा पर्यवेक्षण एंव मूल्यांकन कार्यक्रम के अन्तर्गत सामु0/प्रा0स्वा0केन्द्र ब्लाक स्तरीय व जनपद मुख्यालय पर भ्रमण दल हेतु वाहन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में जो निविदा समिति के द्वारा दिनांक–27.12.2018 को खोली गयी है मे अन्य फर्मों की तुलना में आपका दर रू0–29810.00 प्रति वाहन सबसे न्यूनतम पाया गया एंव जिला स्वास्थ्य समिति जौनपुर की बैठक दिनांक–22.02.2019 में उक्त निविदा की स्वीकृति एंव अनुमोदन दिनांक–05.03.2019 पश्चात आपके विभागिय अनुबंध अनुसार दिनांक–06.03.2019 उपरान्त आपको अनुबंध सेवा शर्तों के अनुरूप निर्धारित सामु0/प्रा0स्वा0केन्द्रों व जनपद मुख्यालय पर भ्रमण दल हेतु प्रति ब्लाक स्तरीय चिकित्सा इकाई प्रति हेतु 01 व जनपद मुख्यालय स्तर पर 02 कामर्शियल वाहन अनुबंध पैरा–9 के अनुसार वाहन भुगतान की अधिकतम सीमा रू0–29810.00 (उन्तीस हजार आठ सौ दस मात्र) प्रति वाहन/प्रति माह कार्य उपरान्त देय होगा सम्बन्धित कार्यक्रम में आपकी फर्म को कुल 22 कामर्शियल वाहन मय सूची सहित अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराने है वाहनों के सम्बन्धित चिकित्सालयों/जनपद मुख्यालय में तैनाती के आदेश पृथक से जारी किये जायेगे। यह ज्ञात हो ले कि आपके द्वारा समय सीमा के अन्दर सेवा नही प्रदान करने अथवा कार्य संतोष जनक नही पाये जाने पर अथवा अन्य किसी कारण जो अनुबंध सेवा शर्तों के अनुरूप होगी पाये जाने पर कभी भी अनुबंध समाप्त करते हुए आदेश निरस्त किये जा सकते है।

(डा0 रामजी पाण्डेय)
मुख्य चिकित्सा अधिकारी
जौनपुर।

पत्रांक– निविदा/पर्ये0एंव मूल्या0/वाहन/2018–19/ 4911–14 दिनांकित्

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति जौनपुर।
2. अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी आर0सी0एच0 जौनपुर।
3. जिला कार्यक्रम प्रबंधक एन0एच0एम0 जौनपुर।

(डा0 रामजी पाण्डेय)
मुख्य चिकित्सा अधिकारी
जौनपुर।